Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to conduct survey in Andaman Revenue villages to provide land to rehabilitated people.

श्री बिष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : महोदया, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए आजादी से पहले जो सेटलमेंट किया गया था, उस समय उन्हें ब्रिटिश बताया गया था। ऐसे बहुत से लोग, गांव और शहर में बैठे हैं। उसके पश्चात् सैटलमेंट का जमाना आया जिसे बीते हुए 50-60 साल हो गए हैं। उनके पास उस समय पटवारी नहीं थी। जमीन का सर्वे नंबर दे दिया गया था, लेकिन लैंड को नहीं दिखाया गया था कि लैंड कहां मिलेगी। उसी कारण 70 साल से जितने जमीन का पट्टा है, उससे ज्यादा मात्रा में जमीन का पोजेशन उनके पास आज तक है। मेरा आपसे आग्रह है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार जब पहली बार बनी थी तो अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के पोर्टब्लेयर शहर के 8 गावों में 61 के सर्वे के मुताबिक एक्सैस भूमि, जो लैंड कब्जे में थी, उनको बिना प्रीमियम के पट्टा दिया गया।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि रेवेन्यू गांव सेटलमैंट बैठक पी-42 सेटलर्स का वहां जो एक्सैस लैंड है, जहां लोग 50-70 सालों से बैठे हुए हैं, सर्वे करके उनको लैंड का पट्टा प्रीमियम दिया जाए।

इसके साथ ही साथ अर्बन एरियाज में भी यही स्थिति है। मैं वहां भी पट्टा प्रीमियम देने का आपसे आग्रह करता हूं। दिसम्बर, 2014 में पार्लियामैंट क्वैश्चन में कहा गया था कि पूरे अंडमान रेवेन्यू गांव में सर्वे करेंगे। दिसम्बर, 2014 में किया था और एश्योरेंस दिया था, लेकिन सर्वे नहीं हुआ। कृपा करके इस पर भी तुरंत कार्रवाई करें।

माननीय अध्यक्ष:

श्री शरद त्रिपाठी,

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देलऔर

डॉ. कुलमणि सामल को श्री बिष्णु पद रायद्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।